न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री राहुल सैनी, आर.ए.एस.

<u>नम्बर मुकदमा</u>	<u>किस्म मुकदमा</u>	<u>ता0 दायरा</u>	<u>निर्णय तिथि</u>
29/2021	प्रा.पत्र 251-A RTA	01.09.2021	14.03.2022

1. अंजना पुत्री हेतराम जाति जाट उम्र 36 साल निवासी ग्राम ढाढरिया चारणान तह. व जिला चूरू हाल सैनिक बस्ती चूरू जिला चूरू।
2. गिरिजादेवी पत्नी हेतराम जाति जाट उम्र 61 साल निवासी ग्राम ढाढरिया चारणान तह. व जिला चूरू।
3. मंजू पुत्री हेतराम जाति जाट उम्र 34 साल निवासी ढाढरिया चारणान तह. व जिला चूरू हाल सैनिक बस्ती चूरू जिला चूरू।
4. राकेश पुत्र हेतराम जाति जाट उम्र 32 साल निवासी ढाढरिया चारणान तह. व जिला चूरू।

—प्रार्थीगण—

<u>बनाम</u>

1. दुलीचन्द बरोड़ पुत्र पेमाराम बरोड़ जाति मेघवाल निवासी आपणी योजना के पीछे, आदर्श ढाणी ग्राम गाजसर तह. व जिला चूरू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, महोदय, चूरू।

—अप्रार्थीगण—

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र बुडानिया प्रार्थीगण
2. अधिवक्ता श्री बजरंग लाल शर्मा अप्रार्थी सं. 1

<u>**आदेश**</u>

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि रोही मौजा ढाढरिया चारणान में खाता संख्या नया 27 व पुराना 25 खसरा नं. 134 तादादी 4.8688 हैक्ट., खसरा नं. 25 तादादी 4.4769 हैक्ट., खसरा नं. 304/281 तादादी 5.3115 हैक्ट., खसरा नं. 432/67 तादादी 2.5293 हैक्ट, खसरा नं. 433/274 तादादी 2.5293 हैक्ट. व खसरा नं. 435/274 तादादी 2.5293 हैक्ट. कुल 22.2451 हैक्ट. स्थित है। यह कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 134 तादादी 4.8688 हैक्ट. रोही मौजा ढाढरिया चारणान में जाने के लिए कोई कटाणी रास्ता नहीं है व उक्त खसरा के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 01 का खेत [illegible] नं. 136 [illegible] से होकर गांव ढाढरिया चारणान से ग्राम कुनणीसर की ओर कटाणी रास्ता जाता है [illegible] प्रार्थी[illegible] के खेत से मात्र 12 फीट दूर से गुजरता है। अप्रार्थी संख्या 01 से [illegible] उक्त [illegible] श्री [illegible]चाराम पुत्र छोगाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम धोधलिया [illegible] जिसने दिनांक 07.04[illegible] को उक्त कृषि भूमि का विक्रय अप्रार्थी संख्या 01 को कर दि[illegible] पूर्व खातेदार के खेत[illegible] प्रार्थीगण अपने खेत में आवागमन करते थे व प्रार्थीगण उक्त रास्ते से पैदल, ऊँटगाड़ा, ट्रेक्टर—ट्राली, जीप, पिकअप एवं अन्य साधनों से आवागमन करते चले आ रहे थे जो काश्त के समय इसी रास्ते से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

ट्रेक्टर ले जाकर अपने खेत की बुआई करते थे व खेत से अनाज फसल आदि इसी रास्ते से लाते थे जो रास्ता साढ़े 16 फिट चौड़ा था जिसका नजरी नक्शा अनेक्चर "अ" उक्त प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते पर बिना किसी व्यवधान के आवागमन करते थे। प्रार्थीगण के खेत में उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा तथा अनेक्चर "अ" जो लाल स्याही से अंकित है अप्रार्थी संख्या 1 ने जैसे ही उक्त खेत खरीद करते ही प्रार्थीगण का उक्त रास्ता जालीदार तारबंदी करके बंद कर दिया जिससे प्रार्थीगण के खेत में जाने का रास्ता बंद हो गया। अब प्रार्थीगण को अपने खेत में जाने के लिए काफी असुविधा हो रही है। यह कि अप्रार्थी संख्या 01 बहुत ही लालची व झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है जो उक्त रास्ता को बंद करने पर आमादा है तथा अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थीगण के आवागमन में व्यवधान पैदा कर दिया है तथा उक्त रास्ते से आवागमन को लेकर प्रार्थीगण के आवागमन में अवरोध पैदा कर बेवजह ही प्रार्थीगण को परेशान करता है तथा उक्त रास्ते से प्रार्थीगण का आवागमन बंद कर दिया है उक्त रास्ते की प्रार्थीगण को अत्यधिक आवश्यकता है। उक्त रास्ता केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है बल्कि उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद ही नहीं है, वैकल्पिक कोई रास्ता नहीं है उक्त रास्ता लघुतम है।

यह कि दिनांक 18.05.2021 से 21.05.2021 को अप्रार्थी संख्या 01 ने उक्त रास्ते पर पट्टी रोपकर जालीदार तारबंदी लगाकर रास्ते को रोका है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 01 को दिनांक 26.05.2021 को कहा व कहलवाया की वो तारबंदी हटा देवे तथा राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करवा लेवे लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 ने दिनांक 28.05.2021 को साफ इंकार कर दिया इस कारण यह आवश्यक हो गया है कि प्रार्थीगण उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम करवाने हेतु श्रीमानजी के समक्ष चाराजोई करे। यह कि वर्तमान में प्रार्थीगण के खेत में खरीफ की फसल काश्त की हुई है। रास्ता ना होने की वजह से प्रार्थीगण अपने खेत में नहीं जा पा रहा है जिससे फसल की देखरेख नहीं होने के कारण फसल खराब हो रही है व आवारा पशु प्रार्थीगण की फसल को नुकसान पहुँचा रहे हैं जिससे प्रार्थीगण को काफी नुकसान हो रहा है। यह कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 01 को कई बार कहा व कहलवाया कि वो उक्त रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर रिकॉर्ड में दुरूस्ती करा देवें मगर अप्रार्थी संख्या 01 टालमटोल करता चला आ रहा है तथा दिनांक 01.06.2021 को साफ मना कर दिया जिस पर प्रार्थीगण ने तहसीलदार महोदय चूरू को एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 03.06.2021 को प्रस्तुत किया जिस पर हल्का पटवारी ढाढरिया बणी[illegible] को मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट बनायी जिसमें हल्का पटवारी ने स्पष्ट अंकि[illegible] कि प्रार्थीगण के खेत में जाने का कोई रास्ता नहीं है एकमात्र रास्ता है [illegible] 01 ने तारबंदी कर बंद कर दिया है जो रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र संलग्न [illegible] ने दिनांक 01.06.2021 को रिकॉर्ड दुरूस्ती करने से व रास्ता कायम करने से इंकार कर दि[illegible] है इस कारण दिनांक 01.06.2021 को वाद हेतुक पैदा हुआ है। प्रार्थीगण वादगत कृषि भूमि खसरा नं. 134 रोही मौजा ढाढरिया चारणान के खातेदार काश्तकार होने के कारण प्रार्थीगण को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है।

यह कि वादगत रास्ता का तमाम राजस्व अभिलेख राजस्थान सरकार तहसीलदार महोदय, चूरू के पावर व पजेशन में है तथा प्रार्थना–पत्र स्वीकार होने की सूरत में स्वीकार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:23 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार अंकन भी तहसीलदार महोदय चूरू के माध्यम से होना है इसलिए प्रार्थना–पत्र मे राजस्थान सरकार को पक्षकार अप्रार्थी संख्या 02 बनाया गया है। प्रार्थना–पत्र में राज्य सरकार के हितों के विपरीत असर डालने वाला अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए धारा 80 जाब्ता दीवानी के नोटिस दिए जाने की आवश्यकता नहीं है इसलिए धारा 80 जाब्ता दीवानी का नोटिस दिए बिना ही प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह कि विवादित रास्ता ढाढरिया चारणान तहसील व जिला चूरू में स्थित होने के कारण प्रार्थना–पत्र श्रीमानजी के श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार का है तथा निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रार्थना–पत्र अंदर मियाद पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावे :–

(क) कृषि भूमि खेत खसरा नं. 134 रोही मौजा ढाढरिया चारणान की दक्षिण पूर्वी दिशा में नजरी नक्शा अनेक्चर 'अ' के अनुसार कटाणी रास्ता नया कायम किया जावे तथा तहसीलदार महोदय चूरू को आदेशित किया जावे कि तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कायम की जावे तथा राजस्व नक्शे में रास्ता तरमीम किया जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 01 से दिलवाया जावे अन्य अनुतोष जो हितकर प्रार्थीगण हो या दौराने सुनवाई प्रार्थना–पत्र हो जावे वो भी प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 01 से दिलवाया जावे।

प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री बजरंगलाल शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया व जवाब हेतु समय चाहा। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब मय दस्तावेज पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का जवाब अप्रार्थी सं. 1 दुलीचन्द बरोड़ की तरफ से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मद सं. 1 प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण ने बहुत सारी कृषि भूमियों का विवरण अंकित किया है जिसके बारे में अप्रार्थी उतरदाता को सम्पूर्ण ज्ञान व जानकारी नहीं है। खसरा नं. 134 रकबा 4.6888 हैक्ट. रोही मौजा ढाढरिया चारनान अप्रार्थी उतरदाता की खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत ख.नं. 135 के उत्तर की तरफ स्थित है। यह कि मद सं. 2 प्रार्थना–पत्र के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये हैं, स्वीकार नहीं, अस्वीकार किये जाते हैं। इस मद में अप्रार्थी सं. 1 के खेत ख.न. 135 रोही चारनान में से होकर ग्राम चारनान से कुनसीसर की ओर जाने वाला कटानी रास्ता ख.नं. 135 में से होकर जाने का तथ्य कतई गलत व गुमराह करने वाला लिखा गया है गांव ढाढरिया चारनान से कुनसीसर की ओर जाने वाला कटानी रास्ता अप्रार्थी सं. 1 के खेत की पूर्वी सींव के पास से जाता है। खेत ख.नं. 135 रोही ढाढरिया चारनान के अन्दर से कोई कटानी रास्ता नहीं जाता है। प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 134 रोही ढाढरिया चारनान में गांव ढाढरिया चारनान से चलकर अप्रार्थी उतरदाता के खेत ख.नं. 135 के बीचों बीच होकर एक परम्परागत रास्ता पगडण्डी सदामत से मौजूद है, जिसमें से होकर प्रार्थीगण व अन्य खेतों के खातेदारान सुविधापूर्वक आवगमन करते हैं तथा अपना पशुधन, ऊँटगाड़ा, ट्रेक्टर व पिकअप आदि लाते व ले जाते हैं। अप्रार्थी सं. 1 ने कुछ समय पूर्व खेत ख.नं. 135 रोही चारनान पूर्व खातेदार देवाराम पुत्र छोगाराम से खरीदा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:23 IST
Reason: SelfAttested

जिसकी खातेदारी मौजूदा समय में अप्रार्थी उतरदाता के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है पूर्व खातेदार के समय का प्रचलित परम्परागत रास्ता पगडण्डी ग्राम ढाढरिया चारनान से कुनसीसर को जाने वाले कटानी रास्ते से फंट कर गिरधारी पुत्र कानाराम के खेत खं. नं. 136 के बीचों बीच होता हुआ आगे ख. नं. 135 के बीचों बीच से होकर प्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के खेत ख.नं. 134 में प्रवेश करता है तथा आगे खींवाराम पुत्र पूर्णाराम व छगनलाल पुत्र पूर्णाराम के खेतों में चला जाता है। उक्त परम्परागत रास्ते पगडण्डी से प्रार्थीगण व भींवाराम तथा छगनलाल सदामत से आवगमन करते हैं जो रास्ता पगडण्डी पुराना प्रचलित रास्ता पगडण्डी है। उक्त पगडण्डी रास्ता से सदामत से प्रार्थीगण व भींवाराम तथा छगनलाल सुविधापूर्वक अपने खेतों में आवागमन करते हैं। प्रार्थीगण ने इस मद में उक्त परम्परागत प्रचलित पगडण्डी रास्ता के अलावा अन्य नया रास्ता कायम करने की मांग की है, जो किसी भी सूरत में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अप्रार्थी उतरदाता द्वारा प्रार्थीगण का परम्परागत प्रचलित रास्ता पगडण्डी कभी बंद नहीं किया गया है। उक्त परम्परागत रास्ता पगडण्डी मौके पर चालू है मगर प्रार्थीगण अपनी सुविधा से अप्रार्थी उतरदाता के खेत ख.नं. 135 में से इस प्रार्थना–पत्र की आड में एक नया रास्ता कायम करवा देना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई हक व अधिकार हासिल नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा नक्शा अनेक्सर "अ" गलत तैयार किया गया है। पूर्व खातेदार देवाराम ने अनेक्सर "अ" में अंकित अनुसार कोई रास्ता नहीं दे रखा था।

यह कि मद सं. 3 प्रार्थना–पत्र के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये हैं, स्वीकार नहीं अस्वीकार किये जाते हैं। इस मद के सभी तथ्य प्रार्थीगण ने गलत व मिथ्या दर्ज करवाये हैं जिनका कोई आधार अथवा औचित्य नहीं है। यह कि मद सं. 4 प्रार्थना–पत्र के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये हैं स्वीकार नहीं अस्वीकार किये जाते हैं, अप्रार्थी उतरदाता ने अपने खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत ख.नं. 135 के चारों तरफ पट्टियां व जालीदार तार अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षा हेतु लगा रखे हैं मगर प्रार्थीगण व छगनलाल, भींवाराम आदि के खेतों में आवागमन हेतु प्रचलित रास्ता पगडण्डी सदामत की अप्रार्थी उतरदाता के खेत ख.नं. 135 के बीचों बीच से गुजरती है जो कभी भी बंद नहीं रही है तथा आज भी चालू है मगर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी उतरदाता को नाहक हैरान परेशान करने के क्रम में यह गलत व मिथ्या प्रार्थना–पत्र पेश किया है। यह कि मद सं. 5 प्रार्थना–पत्र के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये हैं, स्वीकार नहीं अस्वीकार किये जाते हैं। इस मद के सभी तथ्य प्रार्थीगण ने गलत व मिथ्या दर्ज करवाये हैं प्रार्थीगण का खेत ख.नं. 134 मौजूदा समय में बंटाई पर केशराराम बगड़िया को काश्त हेतु दिया हुआ है जो काश्तकार परम्परागत प्रचलित रास्ता पगडण्डी से अप्रार्थी उतरदाता की खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत ख.नं. 135 के बीचों बीच होकर ऊँटगाड़ा सहित आवागमन करता है। यह कि मद सं. 6 प्रार्थना–पत्र के तथ्य जिस प्रकार लिखे गये [illegible] नहीं, अस्वीकार किये जाते हैं। इस मद के सभी तथ्य प्रार्थीगण ने [illegible] प्रार्थीगण को अप्रार्थी उतरदाता के खिलाफ कोई वादकारण अथवा [illegible] नहीं है। प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 134 में आवागमन का परम्परागत प्रचलित रास्ता पगडण्डी [illegible] प्रार्थी उतरदाता के खेत ख.नं. 135 के बीचों बीच होता हुआ प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 134 में जाता है जिसकी पुष्टि तहसीलदार, चूरू की रिपोर्ट दिनांक 30.07.2021 से स्पष्ट साबित होती है। यह कि मद सं. 7 प्रार्थना–पत्र के तथ्य जिस प्रकार लिखे गये हैं, स्वीकार नहीं, अस्वीकार किये जाते हैं। इस मद के सभी तथ्य प्रार्थीगण को स्वयं साबित करने हैं। यह कि मद सं. 8 प्रार्थना–पत्र के बाबत अदालतवाला की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

अधिकारिता बाबत कोई आपत्ति नहीं है। यह कि बिना नम्बरी अनुतोष की मद की उपमद क व ख के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये हैं, स्वीकार नहीं अस्वीकार किये जाते हैं प्रार्थीगण इस प्रार्थना–पत्र के माध्यम से अप्रार्थी उतरदाता से कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अनुतोष की उपमद "क" में प्रार्थीगण ने नया रास्ता कायम करने का अनुतोष चाहा है जबकि परम्परागत प्रचलित रास्ता पगडण्डी सदामत से मौजूद है जो खेत ख.नं. 135 के बीच से होकर खेत ख.नं. 134 में आवागमन हेतु मौके पर चालू है।

अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब के विशेष कथन में अंकित किया कि धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में नया रास्ता कायम करने के प्रावधान हैं मगर इस प्रार्थना–पत्र से संबंधित खेत ख.नं. 134 रोही ढाढरिया चारनान में आवागमन हेतु अप्रार्थी उतरदाता के खेत ख.नं. 135 के बीचों बीच होकर जाने वाली प्रचलित परम्परागत पगडण्डी रास्ता मौका पर आवागमन हेतु मौजूद व चालू है जिसकी पुष्टि तहसीलदार, चूरू की रिपोर्ट दिनांक 30.07.2021 से होती है जिसके बाबत ग्राम ढाढरिया चारनान के आमजन को ज्ञान व जानकारी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना–पत्र द्वारा कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। यह कि तहसीलदार साहब चूरू ने श्रीमान उपखण्ड अधिकारी चूरू के पत्र राजस्व/2021/1967–68 दिनांक 02.07.2021 की पालना के क्रम में अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 30.07.2021 को उपखण्ड अधिकारी चूरू को प्रेषित की है। उक्त रिपोर्ट के अन्तिम पैरा में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि राकेश मोटसरा व अन्य खातेदारों के खेतों में जाने के लिये सुलभ पगडण्डी पहले से ही आवागमन के लिये ख. नं. 135 में से होकर वर्तमान में मौजूद है तथा उसी से आवागमन किया जा रहा है। जिस पर वर्तमान में कोई विवाद नहीं है। तहसीलदार चूरू की उक्त रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि शामिल जवाब प्रार्थना–पत्र पेश की जा रही है। जिसके अवलोकन मात्र से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। यह कि प्रार्थीगण ने अपने खेत खसरा नं. 134 में आवागमन हेतु सुलभ पगडण्डी मौजूद होने के बावजूद भी धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पेश किया है। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र, जहां कोई वैकल्पिक रास्ता अथवा पगडण्डी मौजूद नहीं हो, उसी अवस्था में चलने योग्य होता है। जबकि तहसीलदार चूरू की रिपोर्ट दिनांक 30.07.2021 से यह तथ्य एकदम स्पष्ट है कि खसरा नं. 134 में जाने के लिये सुलभ पगडण्डी पहले से ही खसरा नं. 135 में से होकर मौजूद है तथा उसी से आवागमन किया जा रहा है। जिस पर वर्तमान में कोई विवाद नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र विधि द्वारा वर्जित (Barred by law) होने से हर सूरत में आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के आज्ञापक प्रावधान के ताबे खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना–पत्र मय शपथ प[illegible] निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तक[illegible] खारिज फरमाया जावे।

प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 कैम्प ढाढरिया बणीरोतान में दोनों पक्षों को समझाईश की गई परन्तु पक्षकार सहमत नहीं हुए तथा अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि एक रास्ता सदामत से ग्राम ढाढरिया चारनान के ख.नं. 136, 135, 134 में से होकर आगे जाता है, यह रास्ता पीढियों से मेरे खेत ख.नं. 135 के बीच से होकर जाता है। इस रास्ते को मैंने कभी भी बन्द नहीं किया है, न ही कभी बन्द करूंगा। यह रास्ता 24 घण्टे खुला

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:23 IST
Reason: SelfAttested
उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)
उपखण्ड अधिकारी

रहता है। प्रार्थी के ख.नं. 134 के खेत का रास्ता हमेशा से खुला रहा है व खुला रहेगा। रास्ता होते हुए भी मुझे बिना काम परेशान कर रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। जवाब पेश होने के बाद दिनांक 23.12.2021 को वकील प्रार्थीगण ने बहस का निवेदन किया जिस पर वकील अप्रार्थी सं. 1 ने साक्ष्य पेश करने हेतु समय चाहा। हालांकि प्रकरण धारा 251 'क' आर.टी.ए. के तहत सम्मरी प्रोसीडिंग है फिर भी प्रार्थी व अप्रार्थी को साक्ष्य पेश करने हेतु एक अवसर दिया गया तथा तहसीलदार, चूरू से धारा 251 ए के तहत बिन्दुवार मौका रिपोर्ट मय रास्ता प्रस्ताव उभयपक्ष की मौजूदगी में तैयार कर मंगवाई जाने के निर्देश दिये गये।

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से गवाह दुलीचन्द, भींवाराम, छगनलाल, लालाराम, देवाराम, कुशलाराम, सांवरमल, भूराराम, आत्माराम, श्योदानराम व रामनिवास के शपथ पत्र एवं प्रार्थीगण की ओर से गवाह पुरूषोतम, मोहरसिंह, लालाराम, सांवरमल, सुरेन्द्र, भींवाराम व छगनलाल के शपथ पत्र व अन्य दस्तावेज पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली मौका रिपोर्ट के इन्तजार में लम्बित रही।

तारीख पेशी दिनांक 08.02.2022 को प्रार्थी सं. 4 एवं अप्रार्थी सं. 1 ने उपस्थित होकर **राजीनामा** प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि उक्त प्रकरण में पक्षकारान ने राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से आपस में राजीनामा कर लिया है, जिसमें अप्रार्थी ने मौके पर प्रार्थी द्वारा मांगे गये रास्ते के अनुसार रास्ता खोल दिया है, जो अब मौके पर चालू है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में मांगे गये रास्ते को मौके पर कायम कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो अप्रार्थी को किसी भी प्रकार की आपत्ति, एतराज नहीं है। श्रीमान् न्यायालय द्वारा मौके पर रास्ता काटकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो उसके प्रतिफल के रूप में अप्रार्थी को न तो जमीन चाहिए व ना ही किसी भी प्रकार की राशि चाहिए। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्त अनुवानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

दोनों पक्षकारों की ओर से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपस में सहमति व राजीनामा प्रस्तुत करने पर दोनों पक्षकारों को सुना गया। दोनों पक्षकारों ने प्रस्तुत राजीनामा में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए राजीनामा के अनुसार प्रकरण में आदेश फरमाने का निवेदन किया। तहसीलदार, चूरू से बिन्दुवार मौका रिपोर्ट मय रास्ता प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 को सुना जाकर पत्रावली, पेश दस्तावेजात, उभय पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार, चूरू से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय रास्ता प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अपने खातेदारी खेत ख.नं. 134 रोही ... में आवागमन हेतु अप्रार्थी सं. 1 के खातेदारी खेत ख.नं. 135 की उत्तरी-पूर्वी सींव के कोने के पास से ख.नं. 134 तक 16 फुट चौड़े रास्ते की मांग की है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 को पक्षकार बनाया है तथा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा पहले तो जवाब में रास्ता देने से इन्कार ~~इन्कार~~ किया था परन्तु अब अप्रार्थी सं. 1 एवं प्रार्थीगण के मध्य राजीनामा हो चुका है तथा अप्रार्थी सं. 1 ने मौके पर अपनी तारबन्दी हटाकर प्रार्थीगण को मौके पर रास्ता दे दिया है जो अब मौके पर चालू है। अप्रार्थी सं. 1 ने राजीनामा प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

में यह भी अंकित किया है कि प्रार्थीगण द्वारा मांगा गया रास्ता यदि मौके पर कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो अप्रार्थी सं. 1 को कोई आपत्ति, एतराज नहीं है तथा मौके पर कायम किये जाने वाले रास्ते के प्रतिफल के रूप में अप्रार्थी को न तो जमीन चाहिए एवं न ही किसी भी प्रकार की कोई राशि चाहिए। वादगत कृषि भूमियों की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम ढाढरिया चारनान के खाता संख्या 27 व 58 के अवलोकन जाहिर होता है कि खाता नं. 27 ख.नं. 134 तादादी 4.8688 हैक्टेयर प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं खाता सं. 58 ख.नं. 135 तादादी 6.8164 हैक्टेयर अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमियां हैं। नकल नक्शा के अवलोकन से वादगत कृषि भूमियां ढाढरिया चारनान से कुनसीसर जाने वाले कटानी रास्ता पर एक–दूसरे के चिपते हुए उत्तर–दक्षिण में अवस्थित होना दर्शित होता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा में प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ख.नं. 135 की उतरी–पूर्वी सींव के कोने के पास से ख.नं. 134 तक लाल स्याही से दर्शित है। तहसीलदार, चूरू से प्राप्त मौका रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया जो पटवारी हल्का ढाढरिया बणीरोतान एवं भू–अभिलेख निरीक्षक नाकरासर द्वारा अप्रार्थी सं. 1 की उपस्थिति में तैयार कर भिजवाई गई है, जिसके बिन्दु सं. 1 में अंकित आया है कि "प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है।" बिन्दु सं. 2 में अंकित है कि "यह प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 134 के आवागमन में निकटतम रास्ता है।" बिन्दु सं. 3 में अंकित है कि भू–अभिलेख निरीक्षक, नाकरासर की रिपोर्ट के अनुसार रास्ते का कुल क्षेत्रफल 312 वर्ग फीट है।" बिन्दु सं. 4 व 5 में मौके पर अप्रार्थी दुलीचन्द की उपस्थिति व सहमति होने एवं फर्द मौका भू–अभिलेख निरीक्षक, नाकरासर द्वारा प्रस्तुत किया जाना अंकित है। फर्द मौका में ख.नं. 135 से अन्य खेतों व ख.नं. 134 से होती हुई एक पगडण्डी जाने का भी अंकन है परन्तु उक्त पगडण्डी अत्यधिक लम्बाई वाली प्रतीत होती है। मौका रिपोर्ट एवं प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में किये जाने में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 की सहमति है।

पत्रावली, पेश दस्तावेजात्, तहसीलदार, चूरू द्वारा भिजवाई गई मौका रिपोर्ट मय रास्ता प्रस्ताव एवं दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र के अवलोकन से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही सही प्रतीत होता है। प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अवलोकन से होती है। प्रार्थीगण द्वारा अपने खातेदारी खेतों तक पहुंचने के लिए चाहे गये रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थीगण के खेतों तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन (कटानी मार्ग) का अभाव है तथा प्रार्थीगण द्वारा सुविधा के लिए रास्ता नहीं चाहा गया है क्योंकि प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम दूरी का है। वादगत कृषि भूमियां प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमियां हैं। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमियों में आवागमन के लिए रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है तथा वैकल्पिक साधनों का अभाव है। साथ ही प्रस्तावित रास्ता केवल आवश्यकता के लिए चाहा गया है न कि सुविधा के लिए तथा प्रस्तावित रास्ता निकटतम व लघुतम है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि धारा 251 ए के तहत प्रावधान है कि दिया जाने वाला रास्ता 30 फुट से अनधिक चौड़ाई वाला होगा। तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई उत्तरी तरफ 30 फीट व दक्षिणी तरफ 26 फीट दर्शित की गई है तथा लम्बाई पश्चिमी तरफ 24 फीट एवं पूर्वी तरफ कोना होने से शून्य फीट दर्शित किया गया है जबकि प्रार्थीगण द्वारा 16 फीट चौड़ाई वाले रास्ते की मांग की गई है। तहसीलदार, चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

द्वारा प्रस्तावित चौड़ाई वाला रास्ता दिये जाने में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 सहमत हैं इसलिए तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तावित रास्ता दिया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली कृषि भूमि की एवज में डी.एल.सी. दर से दुगुनी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान अप्रार्थी सं. 1 को करने हेतु तैयार हैं परन्तु अप्रार्थी सं. 1 स्वेच्छा से रास्ते में जाने वाली भूमि के एवज में कोई जमीन या किसी प्रकार की राशि प्रार्थीगण से नहीं लेना चाहता है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आर.टी.ए. के प्रावधानों में कवर होने एवं उभय पक्षकारान की सहमति होने से स्वीकार किया जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में लोक आदलत की भावना से उभय पक्षकारों की सहमति के आधार पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चूरू को आदेश दिया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 134 तादादी 4.8688 हैटेक्यर रोही ग्राम ढाढरिया चारनान में आवागमन हेतु ढाढरिया चारनान से कुनसीसर जाने वाले कटानी रास्ते से पश्चिम अप्रार्थी सं. 1 दुलीचन्द के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 135 रोही ग्राम ढाढरिया चारनान की उत्तरी–पूर्वी सींव के कोने में से होकर उत्तरी तरफ 30 फीट चौड़ाई व दक्षिणी तरफ 26 फीट चौड़ाई तथा पश्चिमी तरफ 24 फीट लम्बाई एवं पूर्वी तरफ कोना होने से 0 फीट लम्बाई = कुल 299.33 वर्गफीट का रास्ता तहसीलदार, चूरू द्वारा पेश नजरी नक्शा में दर्शितानुसार कटानी अंकित करते हुए राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाकर नक्शा में तरमीम की जावे। उक्त नजरी नक्शा भविष्य में आदेश का भाग माना जावेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 14.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल सैनी)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:23 IST
Reason: SelfAttested